R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

300
जुलाई
2004

नीति

निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और गवर्नेन्स के लिए नीतिगत ढांचे का प्रारूप

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2004 को निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और गवर्नेन्स के लिए नीतिगत ढाँचे का प्रारुप पब्लिक डोमैन पर रखा। प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले चर्चा के लिए रखा गया है।

उद्देश्य

नीतिगत ढांचे का उद्देश्य निजी क्षेत्र के बैंकों में बेहतर कार्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। बैंक विशेष होते हैं क्योंकि वे न केवल विश्वसनीय रूप से असंपार्श्विकृत सार्वजनिक निधि की बड़ी राशि स्वीकार करते हैं और उसका वितरण करते हैं परन्तु वे ऋण सृजन के माध्यम से इन निधियों को उठाते हैं। भुगतान प्रणाली सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए भी वे महत्त्वपूर्ण होते हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंकों के स्वामित्व और गवर्नेन्स के लिए कानूनी निर्धारणों में रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी नियामक निर्धारण जोड़े गये हैं। हाल में रिज़र्व बैंक ने भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और गवर्नेन्स से संबद्ध व्यापक नीतिगत ढांचा निर्धारित किया। इस नीतिगत ढांचे को रेखांकित करने वाले व्यापक सिद्धांत यह सुनिश्चित करेंगे -

- निजी क्षेत्र के बैंकों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण अच्छी तरह से विशाखीकृत है।
- महत्वपूर्ण शेयरधारक (अर्थात् 5 प्रतिशत और उसके अधिक की शेयरधारिता) सुयोग्य और उचित हैं। (पृष्ठ 4 का बॉक्स देखें)
- बैंक का कार्य करने वाले निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुयोग्य और सही हैं और सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के तत्त्वों का पालन करते हैं।
- रिज़र्व बैंक, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर अपने नामिती नियुक्त नहीं करेगा।
- निजी क्षेत्र के बैंकों के पास इष्टतम परिचालन और प्रणालीगत स्थिरता के लिए न्यूनतम पूंजी/निवल संपत्ति है।
- नीति और प्रक्रियाएं पारदर्शी और उचित हैं।

न्यूनतम पूंजी

निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास हर समय 300 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए। जब निवल संपत्ति 300 करोड़ रुपये से कम हो जाती है, तब यथोचित समय के भीतर उसे फिर जमा करना चाहिए।

शेयरधारिता

(i) रिज़र्व बैंक के 3 फरवरी 2004 के दिशानिर्देश जो शेयरों के अर्जन या अंतरण की प्राप्ति-सूचना के संबंध में थे, निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत और उससे अधिक के किसी भी शेयरों के अर्जन के लिए लागू होंगे।(पृष्ठ 4 का बॉक्स देखें)

(ii) बैंकों के विशाखीकृत स्वामित्व के हित में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैंक के प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक किसी भी एकल कंपनी या संबद्ध कंपनियों के समूह का किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक में प्रत्यक्ष या परोक्ष शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा।

(iii) जहाँ किसी कॉर्पोरेट कंपनी का स्वामित्व हो, वहाँ यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी एकल व्यक्ति/कंपनी का उस कंपनी के 10 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होगा। जहाँ किसी वित्तीय कंपनी का स्वामित्व हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह कंपनी वित्तीय क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और अच्छी तरह से स्थापित प्रतिष्ठित नियामक वित्तीय कंपनी है।

(iv) निजी क्षेत्र के बैंक के लिए नये लाइसेन्स के मामले में प्रारंभ में प्रवर्तक की शेयरधारिता के लिए उच्चतर राशि की अनुमति दी जायेगी, पर समयबद्ध तरीके से सामान्यत: तीन वर्ष की अवधि के भीतर उसे 10 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और गवर्नेन्स के लिए नीतिगत ढांचे का प्रारूप	3
बैंकों के निदेशकों के लिए सुयोग्य और उचित मानदंड	5
बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार	5
जानबूझकर चूक करनेवाले चूककर्ता	5
स्वर्ण आयात	6
बैंकों द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश	6
बैंकिंग	
मौजूदा खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिये मानदण्ड	6
रिज़र्व बैंक ने अन्य विभागों को कार्य सौंपे	6

(v) मौजूदा नीति के अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों को बैंक के गठन की अनुमति नहीं दी जायेगी पर उन्हें रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के अधीन रणनीतिगत निवेश के ज़रिये बैंक की प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अनधिक शेयरों के अर्जन की अनुमति दी जायेगी।

(vi) निजी क्षेत्र के किसी भी बैंक - जिसमें भारत में स्थित कोई विदेशी बैंक भी शामिल है, को किसी अन्य निजी क्षेत्र के बैंक में निवेशक (इन्वेस्टी) बैंक की प्रदत्त पूंजी के केवल 5 प्रतिशत तक शेयर धारण करने की अनुमति होगी।

निदेशक और कार्पोरेट गवर्नेन्स

- निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशकों की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से परिभाषित की गयी हैं और उन्हें आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- किसी परिवार का एक से अधिक सदस्य, नजदीकी रिश्तेदार या कोई एसोसिएट (भागीदार, कर्मचारी, निदेशक आदि) बैंक के बोर्ड पर नहीं होना चाहिए।
- सभी निदेशकों को जनहित में वचनबद्धता के विलेख पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- निदेशक होने के नाते मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निदेशकों के लिए लागू सुयोग्य और उचित मानदंड की अपेक्षाएं पूरी करनी होगी।

विदेशी निवेश

भारत सरकार द्वारा मार्च 2004 में की गयी घोषणा के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी स्रोतों - अर्थात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय का कुल विदेशी निवेश 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 74 प्रतिशत की सीमा की गणना प्रत्यक्ष और परोक्ष धारिता का विचार करके की जायेगी। दूसरे शब्दों में, सभी समय निजी क्षेत्र के बैंक की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत निवासियों द्वारा धारित होना चाहिए।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- निजी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जहाँ शेयरधारिता व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में 5 प्रतिशत तक या उससे अधिक हो जाता है, वहाँ रिज़र्व बैंक के 3 फरवरी 2004 के दिशानिर्देशों में सूचित मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत एकल कंपनी या संबद्ध कंपनियों के समूह द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

विदेशी संस्थागत निवेशक

- अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश 10 प्रतिशत तक सीमित है। सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए कुल सीमा 24 प्रतिशत तक सीमित है परन्तु बोर्ड/साधारण सभा के अनुमोदन से इसे 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
- पहले की तरह, विदेशी संस्थागत निवेशक निजी क्षेत्र के बैंक के 5 प्रतिशत और उससे अधिक के शेयरों के अर्जन/अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेंगे।

अनिवासी भारतीय

बैंकों में अलग-अलग अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश 5 प्रतिशत तक सीमित है तथा सभी अनिवासी भारतीयों के लिए कुल सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित है। अलबत्ता, बोर्ड/साधारण सभा के अनुमोदन से उसे 24 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

शेयरों के हस्तांतरण/आबंटन की प्राप्ति सूचना (3 फरवरी 2004 के दिशानिर्देश)

निजी क्षेत्र के बैंक की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर किसी व्यक्ति अथवा समूह को शेयरों के किसी भी आबंटन अथवा हस्तांतरण की कुल धारिता (प्रत्यक्ष या परोक्ष) के लिए बैंक द्वारा शेयरों के आबंटन/हस्तांतरण किये जाने के पहले रिज़र्व बैंक की प्राप्ति सूचना की आवश्यकता होगी।

यह निर्णय लेते समय कि क्या प्राप्ति सूचना दी जाए अथवा नहीं, रिज़र्व बैंक आवेदन पत्र से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगा। इनमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल होगा कि शेयरधारक जिसकी कुल धारिताएं उपर्युक्त न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं, फिटनेस तथा स्वामित्व परीक्षण पूरे करता है अथवा नहीं। ऐसे संदर्भ में जरूरत पड़ने पर रिज़र्व बैंक शेयरधारक करारों सहित अतिरिक्त जानकारी तथा दस्तावेज मंगवा सकता है।

यह निर्णय लेते समय कि क्या आवेदक (आवेदक के साथ जुड़ी सभी इकाइयों सहित) शेयरधारक की हैसियत धारण करने के लिए फिट और सही है, रिज़र्व बैंक सभी संबंधित घटकों को हिसाब में ले सकता है। उदाहरण के लिए -

- आवेदक की ईमानदारी, प्रतिष्ठा तथा वित्तीय मामलों में उसका ट्रैक रिकार्ड और कर संबंधी कानूनों का अनुपालन।
- क्या आवेदक किसी गंभीर अनुशासनात्मक अथवा आपराधिक प्रकृति की किसी कार्यवाही के अधीन रहा है अथवा उसे ऐसी चल रही किसी ऐसी कार्यवाही में अथवा किसी ऐसी जांच में अभिसूचित किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसी कार्यवाही हो सकती हो।
- क्या आवेदक का पिछले कारोबार का व्यवहार और गतिविधियों का रिकार्ड रहा है या वह साक्षी रहा है जहां आवेदक को बेईमानी, अक्षमता अथवा कदाचार के कारण वित्तीय हानि से जनता से बचाने के लिए बनाये गये किसी विधान के अंतर्गत किसी अपराध में आरोपी बनाया गया हो।
- क्या आवेदक ने वित्तीय जांच के परिणामस्वरूप संतोषजनक परिणाम दर्शाया है। इसके अंतर्गत गंभीर वित्तीय कदाचार, अशोध्य ऋण शामिल होंगे अथवा आवेदक को दिवालिया घोषित किया गया है।
- अधिग्रहण के लिए निधियों का स्रोत।
- जहां आवेदक निकाय निगम है, वहां ऐसे तरीके से परिचालन करने के लिए प्रतिष्ठा का उसका ट्रैक रिकार्ड जो बेहतर कार्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय मज़बूती तथा ईमानदारी के मानकों के अनुरूप हो और साथ ही व्यक्तियों के आकलन तथा निकाय कार्पोरेट के साथ जुड़ी अन्य इकाइयों के आकलन के अनुरूप हो।

जहां अधिग्रहण अथवा निवेश से आवेदक की शेयरधारिता 10 प्रतिशत के स्तर तक अथवा उससे अधिक और 30 प्रतिशत तक हो जाती है वहां रिज़र्व बैंक अन्य घटकों को भी हिसाब में लेगा, उदाहरण के लिए -

(क) अधिग्रहण के लिए निधियों का स्रोत और स्थिरता तथा बैंक के लिए सतत वित्तीय सहायता के स्रोत के रूप में वित्तीय बाज़ारों तक पहुंच की योग्यता।

(ख) कंपनियों के अधिग्रहण के किसी अनुभव सहित आवेदक का कारोबारी रिकार्ड तथा अनुभव।

(ग) वह सीमा जिस तक आवेदक का कार्पोरेट ढांचा कारगर पर्यवेक्षण तथा बैंक के विनियम के अनुरूप होगा।

(घ) यदि आवेदक कोई वित्तीय इकाई है, क्या आवेदक व्यापक रूप से धारित इकाई है, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है तथा सुव्यवस्थित, विनियमित वित्तीय इकाई है जिसका वित्तीय समुदाय में अच्छा नाम है।

30 प्रतिशत के स्तर से परे के अधिग्रहण अथवा निवेश के हस्तांतरण के लिए प्राप्ति सूचना पर उपर्युक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तथा निम्नलिखित को सामने लेते हुए विचार किया जाएगा।

- अधिग्रहण लोकहित में है।
- बैंकों की अलग-अलग तरह की स्वामित्व की वांछनीयता।
- बैंक के कारोबार के भावी संचालन तथा विकास के लिए आवेदक की योजनाओं की मज़बूती तथा व्यावहारिकता।
- शेयर धारिता करार तथा बैंक के नियंत्रण तथा प्रबंधन पर उनका प्रभाव।

रिज़र्व बैंक की प्राप्ति सूचना आवेदक द्वारा लागू अन्य कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के शर्त के अधीन होगी। इनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कंपनी कार्य विभाग तथा इन्शोरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट एथोरिटी शामिल हैं।

मताधिकार, प्रतिबंध तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान यथोचित रूप से लागू होने जारी रहेंगे।

यथोचित सजगता

यथोचित सजगता की प्रक्रिया शेयरधारकों और निदेशकों के सभी मामलों में संबंधित नियामक, राजस्व प्राधिकारी, अन्वेषण एजेन्सियों और स्वतंत्र ऋण निर्देशन एजेन्सियों का उल्लेख करेगी।

संक्रमण

(i) ऐसे मौजूदा निजी बैंक जो 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल संपत्ति की अपेक्षा पूरी नहीं करते, उन्हें रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए पूंजी संवर्धन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।

(ii) जहाँ किसी स्वतंत्र कंपनी/कंपनियों के समूह की मौजूदा शेयरधारिता 5 प्रतिशत और उससे अधिक है, वहाँ रिज़र्व बैंक के 3 फरवरी 2004 के दिशानिर्देशों में उल्लिखित रूपरेखा के अनुसार यथोचित सजगता अपनायी जायेगी ताकि योग्य और उचित मानदंडों को पूरा किया जा सके।

(iii) जहाँ किसी स्वतंत्र कंपनी/संबद्ध कंपनियों के समूह की मौजूदा शेयरधारिता 10 प्रतिशत से अधिक है, तब बैंक को अनुमत सीमा तक धारिता में कटौती की समय-सारणी सूचित करनी होगी।

(iv) किसी बैंक की भारत की किसी अन्य बैंक में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हो, तो उन्हें इन निवेशों में अनुमत सीमा तक कटौती लाने के लिए समयबद्ध योजना सूचित करनी चाहिए।

(v) बैंकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे निदेशकों और अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में यथोचित सजगता बरतें और रिज़र्व बैंक को सभी आवश्यक प्रमाणपत्र/जानकारी भेजें।

(vi) किसी नये निदेशक को बोर्ड पर लाने या उसकी अवधि में नवीकरण करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक परिवार का एक से अधिक सदस्य, नजदीकी रिश्तेदार या एसोसिएट बोर्ड पर नहीं होना चाहिए।

बैंकों के निदेशकों के लिए सुयोग्य और उचित मानदंड

निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने से पहले संबंधित व्यक्तियों को अपनी नियुक्ति से पहले कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। गांगुली दल की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया है कि :

(i) निजी क्षेत्र के बैंकों को चाहिए कि वे अर्हता, विशेषज्ञता, पिछला रिकार्ड, ईमानदारी तथा अन्य सुयोग्य और उचित मानदंडों के आधार पर, बोर्ड पर निदेशक के रूप में नियुक्ति जारी रहने के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु उचित सजगता की प्रक्रिया आरंभ करें। बैंकों को निर्धारित प्रोफार्मा में, प्रस्तावित/वर्तमान निदेशकों से आवश्यक जानकारी/घोषणापत्र प्राप्त करना चाहिए।

(ii) निजी क्षेत्र के बैंकों की नियुक्ति के समय/नियुक्ति के नवीकरण के समय उचित सजगता की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

(iii) घोषणापत्रों की छानबीन के लिए नामांकन समिति गठित करनी चाहिए।

(iv) हस्ताक्षरित घोषणापत्र में दी गई जानकारी के आधार पर नामांकन समिति को स्वीकृति संबंधी निर्णय करना चाहिए। वह आवश्यक समझे जाने पर समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को, दर्शायी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामला विचारार्थ भेज सकती है।

(v) बैंकों को हर वर्ष वार्षिक आधार पर 31 मार्च को इस आशय का एक घोषणापत्र प्राप्त करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है और जहां कहीं परिवर्तन है, निदेशक आवश्यक ब्यौरे तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

(vi) जनहित में यह सुनिश्चित करना होगा कि नामित/चुने हुए निदेशक हर वर्ष 31 मार्च तक का वचनबद्धता का विलेख निष्पादित करते हैं।

बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार

बासेल II के मानदंडों को आसानी से अपनाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभारों के कार्यान्वयन को निम्नानुसार 2 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध करें :

क) खरीद-बिक्री के लिए रखी गयी श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियों, स्वर्ण के संबंध में जोखिम की स्थिति की सीमा, विदेशी मुद्रा जोखिम स्थिति की सीमा, डेरिवेटिव्स में खरीद-बिक्री की स्थिति और हेजिंग ट्रेडिंग बुक एक्सपोज़र के लिए प्रविष्ट डेरिवेटिव्स पर बाजार जोखिमों के लिए पूंजी 31 मार्च 2005 तक, और

ख) ऊपर (क) के अलावा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिमों के लिए पूंजी 31 मार्च 2006 तक।

बैंकों को सूचित किया गया है कि इन दिशानिर्देशों को सुचारू रूप से लागू करने की दृष्टि से वे उपयुक्त अधिकारी नामित करें जो बैंक में संपर्क-बिन्दु का काम कर सकें। नामित अधिकारियों के नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल का पता और डाक का पता रिज़र्व बैंक को तुरंत बताया जाए। ये संपर्क अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ई-मेल से भारतीय रिज़र्व बैंक से (dbodmrg@rbi.org.in) स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति ने बाजार जोखिमों को समाहित करने के लिए पूंजी समझौते में संशोधन जारी किया था जिसमें बाजार जोखिमों के लिए स्पष्ट पूंजी प्रभार का प्रावधान करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश शामिल थे। भारत में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार निश्चित करने की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में बैंकों से कहा गया था कि :

- वे संपूर्ण निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार निश्चित करें;
- वे विदेशी मुद्रा और स्वर्ण के मामले में जोखिम की स्थिति संबंधी सीमा पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार निश्चित करें; और
- वे निवेश संविभाग में खरीद बिक्री के लिए रखे गये और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों के अंतर्गत रखे गये निवेशों के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि रखें।

अप्रैल 2002 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बाजार-जोखिम के मामले में पूंजी के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को अपनाएँ। बैंकों से यह भी कहा गया था कि वे बाजार जोखिमों के लिए पूंजी के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा तैयार किये गये ढांचे का अध्ययन करें और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अनुकरण करने के लिए अपने को तैयार करें। इस दिशा में अगले कदम के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2003 में बासेल समिति द्वारा तैयार किए गए ढांचे के अनुरूप, बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने के संबंध में कुछ गिने-चुने बैंकों को दिशानिर्देशों का प्रारूप उनके विचार जानने के लिए भेजा था।

जानबूझकर चूक करनेवाले चूककर्ता

जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से प्राप्त इस तरह के अभ्यावेदनों की जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में वर्गीकृत करने से पहले निराकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि चूककर्ता का जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में वर्गीकरण और संबंधित उधारकर्ता की शिकायत को दूर करने के लिए निराकरण की व्यवस्था दो अलग प्रक्रियाओं द्वारा पूरी की जानी चाहिए यथा,

(क) चूक की *जानबूझकर की गयी चूक* के रूप में स्पष्ट कारणों के साथ पहचान करनी होगी, तथा

(ख) उसके बाद उधारकर्ता को जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में कारण सहित उचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। यदि संबंधित उधारकर्ता चाहे तो उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति के पास ऐसे निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित समय (जैसे 15 दिन) दिया जाना चाहिए।

समिति द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए और उधारकर्ता को यथोचित रूप में सूचित करना चाहिए।

स्वर्ण आयात

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक्ज़िम नीति 2002-07 के अनुसार रत्न और आभूषण क्षेत्र की निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा विशेष आर्थिक अंचलों को स्वर्ण के सीधे ही आयात की अनुमति है। ये इकाइयां वर्तमान नामित एजेंसियों के माध्यम से भी स्वर्ण ला सकती हैं। तदनुसार, मौजूदा प्रचलित दिशानिर्देशों के अधीन केवल नामित एजेंसियां, अनुमोदित बैंक तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र की निर्यातोन्मुख इकाइयां तथा विशेष आर्थिक अंचल सीधे ही स्वर्ण का आयात कर सकते हैं -

प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर साख पत्र खोल सकते हैं और रत्न और आभूषण क्षेत्र की निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों और नामित एजेंसियों की ओर से विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं -

(क) स्वर्ण आयात सही रूप में एक्ज़िम नीति के अनुसार ही होना चाहिए।

(ख) आपूर्तिकर्ता और क्रेता ऋण सीधे स्वर्ण आयात के लिए खोले गए साखपत्र के *यूसेंस पीरियड* सहित 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नामित एजेंसियों की ओर से खोले गए साखपत्रों के लिए भी लागू होगा।

(ग) स्वर्ण आयात से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए बैंकर के विवेक का उपयोग पूरी तरह किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे लेनदेन करते समय पर्याप्त कर्तव्य निष्ठा और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों और एंटी मनी लांडरिंग मार्गदर्शी सभी सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। आयातक के कारोबार की मात्रा में भारी अथवा असाधारण वृद्धि की सावधानीपूर्वक जांच की जाए। प्राधिकृत व्यापारी पर्याप्त कर्तव्य निष्ठा से सामान्य काम करने के अलावा ऐसे लेनदेनों की बारीकी से निगरानी करें। साखपत्र खोलने से पहले आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता का भी पता लगाया जाए। आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति, व्यापार का स्वरूप और निवल मालियत, उसके कारोबार के टर्नओवर की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे लेनदेनों में बैंक वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अन्य बैंकों से भी इसकी सावधानीपूर्वक पूछताछ करें। इसके अतिरिक्त, आयात/निर्यात लेनदेनों के लेखा परीक्षा की दिशा तय करने के लिए ऐसे लेनदेनों से संबंधित सभी कागज़ात कम से कम पांच वर्षों तक अवश्य रखे जाएं।

(घ) आयातकों द्वारा बिल ऑफ एन्ट्री की प्रस्तुति का अनुपालन किया जाता है।

(ङ) स्वर्ण के आयात संबंधी लेनदेन करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों के प्रधान कार्यालय/अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग को चाहिए कि वे उपर्युक्त के संबंध में संलग्नक में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार एक मासिक विवरण व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट, मुंबई को प्रस्तुत करें। विवरण अगले माह के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाए।

बैंकों द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में उनके द्वारा निवेश को वर्गीकृत करें, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों:

(i) प्रत्यक्ष आवास ऋणों के संबंध में संग्रहीत आस्तियां जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु परिभाषा में आती हैं।

(ii) प्रतिभूतियुक्त ऋण आवास वित्त कम्पनियों/बैंकों द्वारा दिए जाते हैं; तथा

(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ रिज़र्व बैंक के 24 मई 2002 के परिपत्र में दी गई शर्तें पूरी करती हों।

बैंकिंग

मौजूदा खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिये मानदण्ड

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा छोटे खाता धारकों को कोई असुविधा नहीं होती है और अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि समय पर पूरी कर ली जाती है, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि को लागू करने के लिए ऐसे मौजूदा खातों की सीमा बांध सकते हैं जहाँ 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार जमा या नामे की अंतिम स्थिति 10 लाख रुपये से अधिक है अथवा जहाँ असामान्य लेनदेनों का शक हो। इस प्रक्रिया को 31 दिसम्बर 2004 तक पूरा कर लिया जाये।

अलबत्ता, बैंक यह सुनिश्चित करें कि अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि न्यासों, कम्पनियों, फर्मों, धार्मिक/धर्मादाय संगठनों तथा अन्य संस्थाओं पर लागू होते हैं अथवा ऐसे खातों पर लागू होते हैं जो जनादेश अथवा मुख्तार नामा के ज़रिये खोले गये हैं।

रिज़र्व बैंक ने अन्य विभागों को कार्य सौंपे

कार्य समेकन और कार्य पुनर्निर्धारण के एक प्रयास में रिज़र्व बैंक ने पहली जुलाई 2004 से औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग की गतिविधियों का अन्य विभागों के साथ निम्नानुसार विलयन किया है।

कार्य	विभाग जिसे यह कार्य सौंपा गया है
(i) अंतर बैंक गारंटियों सहित औद्योगिक तथा निर्यात ऋण, आवास वित्त, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक उधार, आधारभूत उधार तथा औद्योगिक पुनर्वसन से संबंधित सभी मामले (ii) बैंकों द्वारा चाय, कॉफी, तम्बाखू तथा सामुद्रिक उत्पादों के लिए राहत पैकेजों पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली प्रगति रिपोर्ट	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र-1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005
(i) खाद्यान्न ऋण से संबंधित सभी मामले (ii) भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खाद्यान्न ऋण से संबंधित सभी विवरण तथा विवरणियां	मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई-400 001
औद्योगिक तथा निर्यात ऋण, आवासीय वित्त, आधारभूत वित्त पोषण तथा औद्योगिक पुनर्वसन से संबंधित निम्नलिखित के अनुसार विवरणियां: (i) फार्म ए विवरणी (ii) निर्यात ऋण संवितरण विवरणी (iii) पाक्षिक निर्यात ऋण बकाया विवरणी (iv) बीमार और कमज़ोर इकाइयों पर वार्षिक विवरणी (v) आवास वित्त पर विवरणी (vi) आधारभूत ऋण विवरणी	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र-1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005
(i) वाणिज्यिक विलेख से संबंधित मामले (ii) विवरणियां क. वाणिज्यिक विलेख से संबंधित पाक्षिक विवरणियां ख. ऋण के क्षेत्रीय वितरण पर आंकड़े	मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई-400 001
राष्ट्रीय आवास बैंक तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड फाइनांस कम्पनी से संबंधित मामले जिनमें इन संस्थाओं में रिज़र्व बैंक की शेयरधारिता से संबंधित केंद्रीय कार्य तथा उनके बोर्डों में रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों को दी जाने वाली सचिवीय सेवाएं शामिल हैं।	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (वित्तीय संस्था प्रभाग), केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005